न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—185/2011/223 (2011/00073)

1. घीसालाल पुत्र कन्हैयालाल,
2. सुगनी पत्नि कन्हैयालाल,
3. नन्दू पुत्री कन्हैयालाल,
4. ममता पुत्री कन्हैयालाल,
5. रामधणी पत्री कन्हैयालाल,

समस्त जाति नाई, निवासी शाहपुर गेट, सावर, तहसील केकड़ी, जिल अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शांति पत्नी रामस्वरूप,
2. महावीर पुत्री रामस्वरूप,
3. प्रेमप्रकाश उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र रामकरण,

जाति नाई, निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, सावर, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर

4. भंवरी पत्नि प्रहला पुत्री रामस्वरूप, निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, सावर, तह0 केकड़ी हाल निवास पीर बाबा के पास, शास्त्री नगर मौहल्ला, केकड़ी जिला अजमेर, ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. रामजस पुत्र देवीलाल, जाति नाई, निवासी सावर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर । **(नाम तर्क)**

रेस्पोडेंटस

7. लाड पुत्री देवीलाल पत्नि रामेश्वर, जाति नाई, निवासी सावर, तहसील केकड़ी हाल निवास पलानिया, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 30.3.2011 अंतर्गत वाद संख्या 267/2006.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एवं 6 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.
4. श्री महेन्द्र कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 7 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय

दिनांकः— 16/7/2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53,92–ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सावर की आराज़ी खाता संख्या नया 919 पुराने 919 खसरा नंबर 1707 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नंबर 1709 रकबा 0.26 है0 वादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0/प्रतिवादीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है तथा मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत रूप से रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हो गयी है व मृतक देवीलाल के तीन लड़के एवं एक लड़की है जिसका सजरा अपने वादपत्र में अंकित किया जिसके अनुसार रामस्वरूप, कन्हैयालाल, रामजस व लाडा है । मृतक देवीलाल की मृत्यु के पश्चात् रामस्वरूप ने राजस्व कर्मचारियों से साज बाज कर व मिलीभगत कर आराजी मुतनाजा का नामांतकरण अपने अकेले स्वंय के नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया है व राजस्वरूप का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके बाद उक्त आराजियात का नामांतकरण उसके वारिसान प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करवा लिया है जबकि आराजी मुतनाजा में अपीलांटस/वादीगण व प्रफोर्मा रेस्पो0 का नाम भी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होना चाहिये था । उपरोक्त आराजियसात में वादीगण/अपीलांटस का 1/4, हिस्सा, रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा, प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 7 का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये । विवादित आराजियात के खसरा नंबर पूर्व में 937 थे, बाद मं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1262 बने तथा वर्तमान खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1707 व 1709 है । अतः वाद स्वीकार वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वादीगण की आराजी में हस्तक्षेप नहीं करे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2011 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 7 लाड जो कि रामस्वरूप की बहन है उसने भी जवाब पेश कर वादीगण/अपीलांटस के कथनों को स्वीकार कर निवेदन किया था कि उक्त आराजी मुतनाजा अकेले रामस्वरूप के नाम चढ़ गई है जो कि गलत है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा आराजी मुतनाजा को पैत्रिक नहीं मानकर गलत निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा देवीलाल के फौत होने के पश्चात् वारिसान सजरा पेश किया गया था जिससे यह स्पष्ट था कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी मुतनाजा पैतृक भूमि है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र फौती नामांतकरण संख्या 804 दिनांक 12.12.2001 जो कि रामस्वरूप के फौत होने के बाद खुला है उसको चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया है । जब वादीगण द्वारा नियमित वाद पेश कर दिया गया है तो नामांतकरण की समरी कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर वाद खारिज

करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वंय ने यह माना है कि विवादित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज है इसके बावजूद वाद खारिज करने में गैर कानूनी त्रुटि की है । अधी0न्याया0 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का बिना विवेचन किये ही निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम सावर की आराजी खाता नंबर 919 पुराने 919 खसरा नंबर 1707 रकबा 0.05 है0 एवं खसरा नंबर 1709 रकबा 0.26 है0 वादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0/प्रतिवादीगण की पुश्तैनी पैत्रिक आराजियात है तथा मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत रूप से रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गई है जबकि विवादित आराजियात में अपीलांटस/वादीगण एवं प्रफोर्मा/रेस्पो0/प्रतिवादी का नाम भी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होना चाहिये । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांटस ने वादपत्र में सजरा अंकित किया है जिसके अनुसार मूल खातेदार देबीलाल पुत्र कालू के तीन लड़के रामस्वरूप, कन्हैयालाल, रामजस एवं पुत्री लाड होना दर्शाया है । रामस्वरूप पुत्र देबीलाल की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान शांति पत्नि रामस्वरूप, महावीर, प्रेमप्रकाश उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्रगण रामस्वरूप एवं भूरी पुत्री रामस्वरूप है जो वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 है । इसी प्रकार कन्हैयालाल के वारिसान सुगनी पत्नी, नन्दू पुत्री, घीसालाल पुत्र, ममता, रामधणी पुत्रियां है जो वाद में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 है । एक्जी.पी.1 ग्राम सावर की जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के अनुसार खाता संख्या 225 खसरा संख्या 937 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 4 बिस्वांसी भूमि देवीलाल वल्द कालू कौम नाई सा0देह खातेदार के रूप में दर्ज है । एक्जी पी.3 जमाबंदी संवत् 2056 के खाता संख्या 919 रकबा 1707 रकबा 0.0500 है0 एवं खसरा नंबर 1709 रकबा 0.2600 है0 भूमि रामस्वरूप पि देवीलाल नाई सा0देह खातेदार दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल एक्जी पी. 4 के अनुसार खसरा नंबर 937 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 4 बिस्वांसी के नवीन खसरा नंबर 1262 रबा 1 बीघा 15 बिस्वा 4 बिस्वांसी बने है । एक्जी पी.5 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1262 मीन के नवीन खसरा नंबर 1707 रकबा 0.05 है0 एवं 1709 रकबा 0.26 है0 कायम किये गये है । जमाबंदी संवत् 2056 में विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 804 दिनांक 12.12.2001 से रामस्वरूप के बजाय मु0 शान्ति बेवा रामस्वरूप, महावीर, प्रेमप्रकाश पि0 रामस्वरूप, भंवरी पुत्री रामस्वरूप नाई के नाम अंकन स्वीकार हुआ है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रफोर्मा प्रतिवादी/लाड पुत्र देवीलाल ने जवाबदावे में कथन किया है कि विवादित आराजियात मृतक देवीलाल के तीन लड़के रामस्वरूप, कन्हैयालाल, रामजस व एक पुत्री लाडा थे, देवीलाल की मृत्यु के उपरांत रामस्वरूप ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से आराजियात का नामांतकरण स्वंय अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जो गलत है । इसी प्रकार सुगनी पत्नि कन्हैयालाल ने शपथ पत्र पेश कर विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व की होना अंकित

कर वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा, प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा होने का कथन कर इसी अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 6.2.2009 में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि ग्राम के आराजी खसरा नंबर 1707 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1709 रकबा 0.26 है0 के मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मौका देखा । मौके पर वर्तमान में दोनों खसरा नंबर के तीन हिस्से हो रखे है जिसमें 1 हिस्सा शांति पत्नि रामस्वरूप व महावीर, प्रेमप्रकाश पि0 रामस्वरूप का व 1 हिस्सा घीसालाल पि0 कन्हैयालाल वगै0 का व 1 हिस्सा रामजस पुत्र देवीलाल कौम नाई का है । वर्तमान में कोई काश्त नहीं है परन्तु मौके पर मेड़ डली हुई है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज देवीलाल के नाम दर्ज थी किन्तु देवीलाल की मृत्यु उपरांत रामस्वरूप पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् रामस्वरूप की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पैतृक होना पूर्णतया साबित है तथा विवादित आराजियात पैतृक होने से वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 रामजस पुत्र देवीलाल तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 लाड पुत्री देवीलाल प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर केवल मात्र विरासत नामांतकरण को चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

6. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 267/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2011 निरस्त किया जाता है तथा ग्राम सावर तहसील के हाल खसरा नंबर 1707 रबा 0.05 है0 एवं खसरा नंबर 1709 रकबा 0.26 है0 में वादीगण/अपीलांटस को 1/4 हिस्से, प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 रामजस पुत्र देवीलाल को 1/4 हिस्से का तथा लाड पुत्री देवीलाल को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 16/7/2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः— श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

घीसालाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति नाई, निवासी शाहपुरं गेट,सावर, तहसील केकड़ी (जिला अजमेर) वगै0

बनाम

शांति पत्नी रामस्वरूप, जाति नाई, निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, सावर ,तहसील केकड़ी (जिला अजमेर) व अन्य

अपील संख्या 185/2011 (2011/00073) ब नाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी मुबर्खे 30 माह 03 सन् 2011 प्रकरण संख्या 267/2006,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88,89,188, 53, 209,92ए राज. काश्त. अधि.1955

यह अपील ब तारीख 16 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अपीलांटस,रेस्पों सं01 से 4 एवं 6 अनुपस्थित, श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पां सं0 5, श्री महेन्द्र कुमार वकील रेस्पों सं0 7 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः—अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड़ अधिकारी केकड़ी द्वारा वाद संख्या 267/2006 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2011 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम सावर तहसील के हाल ख0न0 1707रकबा 0.05 है0एवं ख0न01709 रकबा0.26है. में वादीगण/अपीलांटस को 1/4हिस्से, प्रतिवादिगण/ रेस्पों सं01 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का ,प्रतिवादी/रेस्पों0स0 6 रामजस पुत्र देवीलाल को 1/4 हिस्से का तथा लाड पुत्री देवी लाल को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक..... रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 16 माह 07.सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		.1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्नामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत्	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	